

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—616 / 2003
 संस्थित दिनांक—09.10.2007
 फाईलिंग क.234503000312007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

मुकेश पिता राधेलाल धुर्वे, जाति गोंड, उम्र—26 वर्ष,
 साकिन—जल्दीडांड, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—15 / 10 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—429 एवं आयुध अधिनियम की धारा—25, 27 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—02.08.2007 को करीब 10:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत जल्दीडांड बरवाले जंगल में फरियादी राजेन्द्र की एक भैंस का वध कर, उसे रिष्टी कारित किया तथा अपने आधिपत्य की एक भरमार बंदूक एक नाली बिना अनुज्ञप्ति अवैध रूप से रखे पाए गया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—02.08.2007 को सुबह 04:00 बजे अपनी भैंसों को चरने के लिए छोड़ दिया था, फिर वह अपने पिता जी नंदलाल के साथ जल्दीडांड जंगल की तरफ भैंसों को लाने के लिए गया था तो उसे 19 नग भैंस चरते हुए दिखी, 2 नग भैंस नहीं दिखी तो दोनों भैंसों को देखने आगे तरफ गया एवं शेष भैंसों को उसके पिताजी वापस लेकर घर आ गए। फरियादी राजेन्द्र जब आगे गया तो उसे जल्दीडांड का मुकेश और राधेलाल जंगल में दिखे और उनके हाथ में कुल्हाड़ी और भरमार बंदूक थी। भैंस के न मिलने पर वह वापस आया और खाना खाकर वापस भैंस को चराने जंगल की तरफ गया। उसके पिताजी बरवाले जंगल में फिर से भैंस ढूंढने गए तो उन्हें एक भैंस चरते हुए मिली और एक भैंस नहीं दिखी, जिसे ढूंढने पर भैंस जंगल में मरी पड़ी हुई मिली और उसके पीछे के दोनों पैर में कटे के निशान थे

और भैंस के सामने के हिस्से में दाएं पैर के उपर पसली के पास तीन छेद के निशान थे। उसने जंगल में दन से आवाज भी सुना था। उसे शक है कि आरोपी मुकेश जंगल में कुल्हाड़ी और बंदूक लेकर घूम रहा था, उसी ने उसकी भैंस के पैर को कुल्हाड़ी से काटा होगा और बंदूक से मारा होगा। उक्त घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन उसने अपने पिताजी के साथ जाकर थाना बैहर में की थी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 65/2007, भारतीय दंड संहिता की धारा-429 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी मुकेश से एक भरमार बंदूक जप्त कर उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25, 27 का ईजाफा किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेख किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-429 एवं आयुध अधिनियम की धारा-25, 27 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— **प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपी ने दिनांक-02.08.2007 को करीब 10:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत जल्दीडांड बरवाले जंगल में फरियादी राजेन्द्र की एक भैंस का वध कर, उसे रिष्टी कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में एक भरमार बंदूक एक नाली बिना अनुज्ञप्ति अवैध रूप से रखे पाया गया ?

: : विचारणीय बिन्दु का निराकरण : :

5— फरियादी राजेन्द्र (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व सुबह करीब 10:00 बजे जंगल की है। आरोपी मुकेश ने उसकी भैंस को भरमार बंदूक से मार दिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसके सामने आरोपी ने भैंस को बंदूक से मारा था, जिससे भैंस मर गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय उसके सामने भैंस को बंदूक से मारने वाली बात बता दिया था। यदि उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके बयान प्रदर्श डी-1 में उक्त बात न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 व अभियोजन मामलों के अनुसार फरियादी राजेन्द्र को भैंस ढूंढने पर नहीं मिली और उसे जंगल में मरी पड़ी होना बताया है तथा उसने शंका के आधार पर आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लेख करवाया होना प्रकट होता है। जबकि उक्त साक्षी ने अभियोजन मामले से हटकर यह बताया है कि उसने आरोपी के द्वारा बंदूक से गोली मारकर भैंस मारते हुए देखा है। इस प्रकार उक्त तात्विक प्रकृति का लोप व विरोधाभास होने से साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि उसने स्वयं आरोपी को भैंस मारते हुए देखा है।

6— नंदलाल (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 3 वर्ष पूर्व की है। राजेन्द्र उसका पुत्र है, जो भैंस चराने जंगल गया था। उसने उसे घर आकर बताया कि आरोपी ने बंदूक से भैंस को मार दिया है तथा कुल्हाड़ी से पैर को काट दिया है। उक्त भैंस करीब 15,000/—रुपये की थी। फिर वह पंचो को लेकर गया था, तब आरोपी भाग गया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के परिवार और उसके परिवार का पुराना विवाद चला आ रहा है और बोलचाल बंद है। इस प्रकार साक्षी ने फरियादी राजेन्द्र की जानकारी के आधार पर आरोपी के द्वारा कथित भैंस को बंदूक से मारने के बारे में अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं।

7— साक्षी धरमसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी को जानता है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपने गांव के लोगों के साथ प्रार्थी की भैंस जो मरी पड़ी थी, उसे देखने जंगल गया था। उक्त मृत भैंस को उसने दूर से देखा था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था। पुलिस ने उसके सामने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी

घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि उसे राजेन्द्र ने आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी व भरमार लेकर जंगल में घूमने वाली बात बताई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी की भैंस कैसे मरी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— नोहरसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। उसने उक्त घटनास्थल पर जाकर मरी हुई भैंस को देखा था। उसने जब भैंस को देखा था, तब उस पर कोई निशान नहीं थे। उसे प्रार्थी राजेन्द्र ने कुछ नहीं बताया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी और फरियादी के परिवार के बीच विवाद चला आ रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रंजिश होने के आधार पर आरोपी को झूठा फंसाया जा सकता है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— शंभूसिंह (अ.सा.5) एवं गुदेसिंह (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वे आरोपी को पहचानते हैं। उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिसवालों ने उनके समक्ष आरोपी से पूछताछ किये थे, तब आरोपी ने भैंस को बंदूक से मारना बताया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी एवं आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किये थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि उनके सामने आरोपी से एक भरमार बंदूक और कुल्हाड़ी को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके सामने आरोपी से कोई पूछताछ व मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये गए हैं। इस प्रकार साक्षीगण के कथन से अभियोजन मामलें को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— डॉ. आशीष कुमार वैद्य (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.08.07 को पशु चिकित्सालय बैहर में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना बैहर प्रभारी द्वारा पशु स्वामी नंदलाल पिता समलू के पशु भैंस उम्र-6 वर्ष, रंग काला के शव परीक्षण हेतु बताया गया। उसकी परीक्षण रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत हुआ कि मृत्यु लगभग 25 घंटे पूर्व हुई है। दाहिने पिछले पैर में कटे होने के निशान थे एवं बाएं पिछले पैर में कूल्हे की हड्डी पर कटे हुए निशान

थे, जो कि किसी धारदार वस्तु द्वारा किया गया होना प्रतीत होता था। तीन घाव के निशान छाती के दाएं ओर दिखाई पड़े, जहां की त्वचा हटाए जाने पर खून निकलता दिखाई दिया। फेफड़ों में तीन घाव दिखाई दिए। उसकी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-11.08.2007 को थाना प्रभारी बैहर द्वारा भैंस के लिए क्यूरी रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसकी पावती प्रदर्श पी-8 है, जिसके जवाब में बताया था कि उक्त भैंस के तीन छेद (निशान) जो भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का छर्चा तथा बारूद प्राप्त ना होने पर चोट के निशान भरमार बंदूक के हैं, किन्तु निशान बंदूक के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। भैंस की मृत्यु भैंस में प्राप्त तीन छेद के कारण हुई थी, क्योंकि इन्हीं भाग से खून निकला था। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मृतक भैंस के शरीर में बारूद व छर्चा प्राप्त नहीं हुआ था। वह नहीं बता सकता कि भैंस के शरीर में जहरीला पदार्थ था या नहीं। साक्षी का कथन है कि उक्त के संबंध में उसने परीक्षण नहीं किया था। साक्षी का यह भी कथन है कि वह स्पष्ट अभिमत नहीं दे सकता कि भैंस को भरमार बंदूक से मारा गया था या नहीं। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कथित भैंस की मृत्यु गोली लगने के कारण ही हुई थी।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-04.08.2007 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-65/07, धारा-429 भा.द.वि. प्रदर्श पी-1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रधान आरक्षक श्यामप्रकाश गायधने के द्वारा लेख किया गया है, जिस पर प्रधान आरक्षक श्यामप्रकाश गायधने के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह भली-भांती पहचानता है, क्योंकि उनके साथ उसने 3 वर्ष तक काम किया है। विवेचना के दौरान दिनांक-04.08.2007 को प्रार्थी राजेन्द्र की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी राजेन्द्र, साक्षी नंदलाल, धरमसिंह, नोहरसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-04.08.2007 को राजेन्द्र कुमार की उपस्थिति एवं साक्षियों की उपस्थिति में नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर भैंस के मरने से करीब 25 हजार रुपये का नुकसान होना बताया गया है।

13— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक-04.08.2007 को आरोपी मुकेश को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया तो आरोपी मुकेश ने साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें उसने अपने घर में रखी एक भरमार बंदूक, एक नाल एवं एक कुल्हाड़ी लेकर बरवाला जंगल गया था, वहां उसने अपनी बंदूक से गोली मारकर एक भैंस को मारा है तथा उसी भैंस के दोनों पिछले पैर को कुल्हाड़ी से काटा हूं, बंदूक और कुल्हाड़ी अपने घर के बीच वाले कमरे में खाट के पास रखा हूं, चलो चलकर बरामद करा देता हूं का अ से अ भाग का कथन दिया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं जिस पर आरोपी तथा साक्षियों के भी हस्ताक्षर लिया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी मुकेश से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार एक भरमार बंदूक एक नाल तथा एक कुल्हाड़ी बेसा सहित जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी एवं साक्षियों के भी हस्ताक्षर लिया था। भरमार बंदूक एक नाल के दस्तावेज आरोपी के पास नहीं थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृत भैंस को आई चोटों के संबंध में क्यूरी करने के बाबत पशु चिकित्सा अधिकारी बैहर को प्रदर्श पी-8 का आवेदन लेख किया था। क्यूरी रिपोर्ट प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया था। जप्तशुदा भरमार बंदूक एवं एक कुल्हाड़ी को परीक्षण हेतु सागर भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। दिनांक-04.08.2007 को आरोपी मुकेश कुमार के द्वारा निकालकर देने पर आर्टिकल ए-1 भरमार बंदूक प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं किया था तथा वह नहीं बता सकता कि आरोपी के पास जो बंदूक जप्त हुई थी, उसका लायसेंस आरोपी के पिता के नाम से दर्ज है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने भैंस को आई चोट के संबंध में पशु चिकित्सक से क्यूरी रिपोर्ट मांगी थी और उक्त क्यूरी रिपोर्ट में चिकित्सक के द्वारा चोट में किसी प्रकार का छर्छा या बारूद प्राप्त न होने की बात लेख की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कुल्हाड़ी से आई चोटों के संबंध में उक्त बिन्दु पर क्यूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की थी। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में अनुसंधान कार्यवाही को साक्ष्य में प्रमाणित किया है।

15— बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी मुकेश धुर्वे (ब.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी का पिता नंदलाल उसका जीजा लगता है। नन्दलाल की भैंस बीमारी के कारण जंगल में मरी थी और रंजिश के कारण फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखा दिया था। उसके पिताजी के नाम की बंदूक का लायसेंस दिनांक-31.12.2010 तक वैध था, जिसकी मूल प्रति प्रदर्श डी-3 है। इस प्रकार साक्षी द्वारा प्रस्तुत जप्तशुदा भरमार बंदूक का लायसेंस से स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक-02.08.2007 को उक्त लायसेंसी हथियार वैध अनुज्ञप्ति अवधि में था, जिसे आरोपी से जप्त किया गया था। उक्त लायसेंस प्रदर्श डी-3 में अनुज्ञप्ति धारक के रूप में राधेलाल वल्द गोहरी का नाम एवं उसके फौत उपरान्त राधेलाल की पत्नी सुखवंती अर्थात् आरोपी की माँ का नाम दर्ज होना प्रकट होता है।

16— मामलों में जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही एवं मेमोरेण्डम कथन का किसी भी साक्षी के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। प्रकरण में जप्ती अधिकारी के रूप में आरोपी से उसके आधिपत्य से भरमार बंदूक व कुल्हाड़ी जप्त किया जाना प्रमाणित मान लिया जाए तो भी प्रकरण में इस बारे में विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि आरोपी के द्वारा ही बंदूक से गोली मारकर व कुल्हाड़ी से काटकर फरियादी राजेन्द्र की भैंस की मृत्यु कारित की गई थी। वास्तव में कथित रूप से आरोपी को घटनास्थल पर भैंस को गोली मारते हुए एवं कुल्हाड़ी से भैंस के पैर काटते हुए किसी भी साक्षी के द्वारा नहीं देखा गया है। स्वयं अभियोजन का मामला ही फरियादी राजेन्द्र के द्वारा शंका के आधार पर तैयार किया जाना प्रकट होता है। आरोपी और फरियादी के परिवार के मध्य पूर्व रंजिश का तथ्य भी विचार में लिये जाने पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है। जप्तशुदा लायसेंसी भरमार बंदूक से अपराध किया जाना प्रमाणित न होने से आरोपी के द्वारा आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया जाना प्रकट नहीं होता है।

17— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-429 एवं आयुध अधिनियम की धारा-25, 27 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लायसेंसी भरमार बंदूक अनुज्ञप्ति धारी सुखवंतीबाई पत्नी स्व. राधेलाल, निवासी—ग्राम जल्दीडांड, थाना बैहर, जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात् वापस की जावे तथा जप्तशुदा कुल्हाडी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)